[ 2021 ] 10 एस. सी. आर. 623

एम. आर. राजीव नोवार

बनाम

प्रमुख राजस्व प्राधिकरण को नियंत्रित करना महाराष्ट्र राज्य, पुणे और अन्य

( 2021 की सिविल अपील संख्या 5970)

24 सितंबर, 2021

[ डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958-एस. एस. 47 , 48 , 49 , 50 , 52 , 52 ए, 53 (1 ए)-मुद्रांक शुल्क-का धनवापसी-अपीलार्थी ने एक

आवासीय फ्लैट-उन्होंने ई-एस. बी. टी. आर. स्टाम्प पेपर की राशि के लिए खरीदा

रुपये. 8,44,500/- बिल्डर के साथ विवाद उत्पन्न हुआ-अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन. सी. डी. आर. सी.) के समक्ष उपभोक्ता शिकायत दर्ज की-शिकायत की अनुमति दी गई-विकासकर्ता ने पूरे विचार को वापस कर दिया-अपीलकर्ता ने स्टाम्प शुल्क की वापसी का दावा किया-उक्त दावे को पंजीकरण उप निरीक्षक द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि धनवापसी के लिए आवेदन छह महीने के भीतर नहीं किया गया था जैसा कि एस. 48 ( 3 ) 1958 का अधिनियम उच्च न्यायालय ने राजस्व के दृष्टिकोण की पुष्टि की

अधिकारी कि धनवापसी के लिए आवेदन अपील पर सीमा द्वारा वर्जित था, ने अभिनिर्धारित किया: राजस्व अधिकारियों ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि आवेदन छह महीने के भीतर दायर नहीं किया गया था, इस मामले को अवशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आता है। 48 अधिनियम का-इस दृष्टिकोण से क्या छूट गया है, यदि धनवापसी के लिए आवेदन नहीं है

एस के प्रावधानों के संदर्भ में। 47 , एस में सीमा की अवधि। 48 स्पष्ट रूप से आवेदन के बाद से कोई आवेदन नहीं है

अपीलार्थी एस के दायरे में नहीं आता है। 47 , एस में निर्धारित छह महीने की सीमा अवधि। 48 लागू नहीं होगा-अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन एस. एस. के दायरे में नहीं आता है। 47 , 52 और 52 ए-धनवापसी के लिए अपीलार्थी के आवेदन का शीर्षक एस के प्रावधानों के संदर्भ में था। 47 - यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक गलत वैधानिक प्रावधान का एक संदर्भ, नागरिक को धनवापसी के अधिकार से बाहर नहीं कर सकता है जो अन्यथा एक वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में अनुसरण करता है-तत्काल मामले में, स्टाम्प पेपर को ईमानदारी से खरीदा गया था, और अपीलार्थी का आचरण अनुचित नहीं था और न ही कोई जानबूझकर या अनावश्यक देरी थी -

10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून का सामान्य नियम, धनवापसी का अधिकार एक वैधानिक सृजन है-ए

का

मामला

कानून द्वारा परिकल्पित शर्तों के अनुसार धनवापसी की मांग की जा सकती है-अपीलार्थी को किसी भी ठोस प्रावधान द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

एक घटना के मामले में जैसे कि तत्काल मामले में जहां

मामले के तथ्य कानून द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट यू/Art.142 के पास देरी को माफ करने की शक्ति होगी-चूंकि तत्काल मामले में धनवापसी के लिए आवेदन भरने में देरी एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष लंबी कार्यवाही के कारण हुई थी, इसलिए आवेदन को देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है-परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता स्टाम्प शुल्क की वापसी का हकदार है जो ई-स्टाम्प पेपर की खरीद के समय भुगतान किया गया था, जो अपीलकर्ता द्वारा ई-स्टाम्प पेपर को स्टाम्प कलेक्टर को वापस करने की शर्त पर है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 48

इस कथन से शुरू होता है कि धारा 47 के तहत राहत के लिए आवेदन खंड (1), (2) और (3) में इंगित अवधि के भीतर किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, खंड (1), (2) और (3) में निर्धारित सीमा की अवधि उन मामलों के संबंध में है जो धारा 47 द्वारा शासित हैं। आमदनी

स्टाम्प पेपर की खरीद की तारीख, मामले को अधिनियम की धारा 48 में अवशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत आती है। इस विचार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है। इस दृष्टिकोण में इस बात की कमी है कि धारा 48 पूरी तरह से केवल उन मामलों पर लागू होती है जहां राहत के लिए आवेदन धारा 47 द्वारा नियंत्रित होता है। यदि धनवापसी के लिए आवेदन नहीं है धारा 47 के प्रावधानों के संदर्भ में, धारा 48 में सीमा की अवधि स्पष्ट रूप से लागू नहीं होती है। चूँकि अपीलार्थी का आवेदन धारा 47 के किसी भी खंड के दायरे में नहीं आता है, इसलिए धारा 48 में निर्धारित 6 महीने की सीमा अवधि अपीलार्थी द्वारा दायर भत्ते के आवेदन पर लागू नहीं होगी। [ पैरा 17 और 18] [634-ई-एच; 635-ए-बी]

2. अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन इसके दायरे में नहीं आता है।

धारा 47,52 और 52क की परिधि। यह सच है कि धनवापसी के लिए आवेदन का शीर्षक धारा के प्रावधानों के संदर्भ में था

47. लेकिन, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक गलत वैधानिक एम. आर. का संदर्भ।

राजीव नोवार बनाम। प्रमुख राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रावधान, नागरिक को धनवापसी की पात्रता से बाहर नहीं कर सकता है जो अन्यथा एक वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में अनुसरण करता है।

[ पैरा 28] [640-बी-सी]

3. वर्तमान मामले में, स्टाम्प पेपर को बेचने के समझौते को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से खरीदा गया था जिसे निष्पादित किया जाना था

विकासकर्ता के साथ अपीलकर्ता। डेवलपर के साथ एक विवाद था जिसके कारण एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई। अपीलार्थी के आचरण में कुछ भी अप्रिय नहीं था और निश्चित रूप से कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करने में अपीलार्थी की ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी। एन. सी. डी. आर. सी. ने शिकायतकर्ता को यह विकल्प देते हुए अनुमति दी कि या तो मुआवजे के पुरस्कार के साथ समझौते के साथ आगे बढ़ें या, विकल्प के रूप में, ब्याज के साथ धनवापसी की मांग करें। अपीलार्थी ने बाद के विकल्प का उपयोग करते हुए धनवापसी के अनुदान के लिए एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश से दो महीने के भीतर आवेदन किया। इसलिए, अपीलार्थी के आचरण को अनुचित नहीं माना जा सकता है और न ही मुद्रांक शुल्क की वापसी के लिए आवेदन करने में अपीलार्थी की ओर से कोई जानबूझकर या अनावश्यक देरी की गई थी। इस तरह का आवेदन उचित अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए। [ पैरा 29] [640-सी-एफ]

4. कानून के एक सामान्य नियम के रूप में, धनवापसी का अधिकार एक वैधानिक सृजन है। कानून द्वारा परिकल्पित शर्तों के अनुसार धनवापसी की मांग की जा सकती है।

और सावधानी के साथ अपने विवेक का प्रयोग करें। इसलिए, यदि कोई क़ानून एक सीमा अवधि निर्धारित करता है, तो इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत देरी में हस्तक्षेप करने में देरी करनी चाहिए। हालांकि, तत्काल मामले जैसी घटना के मामले में जहां मामले के तथ्य क़ानून के दायरे में नहीं आते हैं, अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के पास देरी को माफ करके पूर्ण न्याय करने की शक्ति होगी। इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि भरने में देरी तत्काल मामले में धनवापसी के लिए आवेदन एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष लंबी कार्यवाही के कारण था, आवेदन नहीं किया जा सकता है

देरी के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। एक वादी का [2021] 10 एस. सी. आर. पर कोई नियंत्रण नहीं है।

न्यायिक विलम्ब। धनवापसी के लिए आवेदन की अस्वीकृति होगी समानता, न्याय और निष्पक्षता का उल्लंघन करता है जहां आवेदक को न्यायिक देरी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला है। [ पैरा 31] [641-सी-एफ]

5. परिणामस्वरूप, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी

ई-स्टाम्प पेपर की खरीद के समय भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की वापसी का हकदार होगा, जो अपीलार्थी द्वारा स्टाम्प कलेक्टर, मुंबई को ई-स्टाम्प पेपर वापस करने की शर्त पर होगा। धनवापसी एक अवधि के भीतर संसाधित की जाएगी।

कलेक्टर को ई-स्टाम्प पेपर की डिलीवरी का महीना। [ पैरा 32] [641-जी; 642-ए]

समिति-जी. एफ. आई. एल बनाम लिब्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2015) 16 एस. सी. सी. 31: [ 2015 ] 11 एससीआर 420; एआर

एंथुले वी. आर. एस. नायक (1988) 2 एस. सी. सी. 602: [ 1988 ] 1

पूरक। एस. सी. आर. 1; यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम। संघ का

भारत, (1991) 4 एससीसी 584: [ 1991 ] 1 पूरक। एससीआर 251; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (1998)

4 एससीसी 409: [ 1998 ] 2 एस. सी. आर. 795-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 2015 ] 11 एससीआर 420

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[ 1988 ] 1 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[ 1991 ] 1 पूरक। एससीआर 251

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[ 1998 ] 2 एससीआर 795

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.5970

2021 .

उच्च न्यायालय के 22.11.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की रिट याचिका संख्या 10088 में बॉम्बे में न्यायपालिका

वरुण सिंह, गौरव नायर, सुश्री प्रणति भटनागर, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, एड.

उत्तरदाताओं के लिए।

एम. आर. राजीव नोवार बनाम। प्रमुख राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए एक नागरिक के दावे में पाया गया है कि

इस कोर्ट के लिए घुमावदार रास्ता। अपीलार्थी ने एक आवासीय अपार्टमेंट बुक किया। बिल्डर के साथ विवाद हो गया। इससे उपभोक्ता शिकायत करने लगे। मुकदमेबाजी में समय लगा। अपीलार्थी को कीमत की वापसी का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी। स्टाम्प शुल्क की वापसी के दावे को राज्य की राजस्व शाखा ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले से सहमति जताते हुए दावे को पुराना पाया। धनवापसी के लिए एक साधारण दावा हमें राजस्व स्रोत कानून की जटिलताओं की ओर ले जाता है।

3. यह अपील बॉम्बे में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 22 नवंबर 2018 के एक फैसले से उत्पन्न होती है। पंजीकरण के उप महानिरीक्षक और डाक टिकटों के उप नियंत्रक, पुणे ने अपीलार्थी द्वारा दायर डाक टिकट शुल्क की वापसी के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया। प्राधिकरण के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में चुनौती दी गई थी। याचिका खारिज कर दी गई है।

4. 24 अप्रैल 2014 को, अपीलार्थी ने एक आवासीय फ्लैट बुक किया, जो एक निर्माण के टावर नंबर 24 में 1660 वर्ग फुट की इकाई संख्या 2001 थी।

पुणे में लोढ़ा बेलमोंडो नामक परियोजना के लिए 1,68,88,095 रुपये का भुगतान किया गया। अपीलार्थी ने शुरू में जुलाई 2014 तक सहमत बिक्री विचार के 19.9% का प्रतिनिधित्व करते हुए 33,91,795 रुपये की राशि का भुगतान किया, जिसके बाद एक पुष्टिकरण ईमेल जारी किया गया। इसके बाद 15 जुलाई 2014 को एक आवंटन पत्र जारी किया गया। 14 अगस्त 2014 को, अपीलार्थी ने सहमत विचार में से 221 रुपये की राशि का भुगतान किया। एक परिवहन के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अपीलार्थी ने बेचने के समझौते के निष्पादन के लिए आई. डी. बी. आई. बैंक, औंध, पुणे से एम. टी. आर. जी. आर. एन. संख्या एम. एच. 0023603832014155 वाले सरकारी चालान के माध्यम से एक ई. एस. बी. टी. आर. स्टाम्प पेपर खरीदा।

5. अपीलार्थी और विकासकर्ता के बीच विवाद उत्पन्न हुए जिसके कारण अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1. शिकायत के लंबित रहने के दौरान, 25 सितंबर 2014 के एक अंतरिम आदेश ने

1 " एन. सी. डी. आर. सी" [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फ्लैट में तीसरे पक्ष के हितों को बनाने से डेवलपर। अंततः 6 मई 2016 के एक आदेश द्वारा, शिकायत को स्वीकार कर लिया गया। अपीलार्थी को या तो डेवलपर के साथ समझौते को निष्पादित करने का विकल्प दिया गया था, जिस स्थिति में डेवलपर 10 लाख रुपये की राशि का मुआवजा देगा, या वैकल्पिक रूप से, यदि अपीलार्थी किसी समझौते को निष्पादित करने के लिए तैयार नहीं था, तो डेवलपर को पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। प्रत्येक किस्त की प्राप्ति की तारीख से धनवापसी की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 5 लाख रुपये के मुआवजे के साथ।

10,00,000 . अपीलार्थी ने ब्याज सहित प्रतिफल की वापसी की मांग करने के विकल्प का प्रयोग किया।

6. विकासकर्ता ने 11 जुलाई 2016 को एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के अनुसार प्रतिफल की वापसी के लिए एक चेक जारी किया। अपीलार्थी

इसके बाद 16 जुलाई 2016 को डाक टिकट कलेक्टर को 1 रुपये के डाक टिकट शुल्क की वापसी के लिए आवेदन किया गया। 5 अगस्त 2016 को एक संचार द्वारा, डाक टिकट कलेक्टर ने फाइल को पंजीकरण उप महानिरीक्षक को एक सिफारिश के साथ भेज दिया कि धनवापसी को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने छह महीने के भीतर धनवापसी के लिए आवेदन नहीं किया था। 27 सितंबर 2016 के एक आदेश द्वारा, पंजीकरण उप महानिरीक्षक ने स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 48 (3) द्वारा अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर धनवापसी के लिए आवेदन नहीं किया गया था। अपीलार्थी ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 53 (1ए) के तहत मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। अपील को इसी आधार पर 2 अप्रैल 2018 को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने 27 सितंबर 2016 और 2 अप्रैल 2018 के आदेशों को चुनौती देने और भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की वापसी का निर्देश देने वाले आदेश की मांग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में बॉम्बे में उच्च न्यायालय का रुख किया। 7. उच्च न्यायालय ने 22 नवंबर 2018 के अपने फैसले में राजस्व अधिकारियों के इस विचार की पुष्टि करते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि ई-स्टाम्प की खरीद की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर धनवापसी के लिए आवेदन को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 48 (3) के तहत छह महीने की सीमा अवधि लागू नहीं होगी क्योंकि अपीलार्थी का मामला अधिनियम की धारा 52ए के तहत आता है। यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 47,48,52 और 52ए की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, और धारा 52ए के तहत एक आवेदन भी टिकटों की खरीद की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

एम. आर. राजीवनोहवार बनाम। प्रमुख नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण महाराष्ट्र, पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तदनुसार मामला इस न्यायालय में गया है। 18 जनवरी 2019 को नोटिस जारी किया गया था।

8. अपीलार्थी की ओर से पेश वकील श्री वरुण सिंह प्रस्तुत करते हैं कि उन परिस्थितियों की सराहना करने के लिए जिनमें

धनवापसी के लिए आवेदन दायर किया गया था, निम्नलिखित घटनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:

ई-स्टाम्प पेपर 16 अगस्त 2014 को खरीदा गया था।

( (i) ( (ख)

विकासकर्ता के साथ विवाद के बाद, अपीलार्थी चला गया

एन. सी. डी. आर. सी. ने शुरू में इस पर अंतरिम रोक लगा दी

25 सितंबर 2014 को तीसरे पक्ष के अधिकारों का निर्माण और अंततः 6 मई 2016 को शिकायत की अनुमति दी गई; और

( iii)

धनवापसी के लिए आवेदन 16 जुलाई 2016 को भेजा गया था।

9. इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि निम्नलिखित पाँच कारणों से, धनवापसी के लिए आवेदन एक उचित अवधि के भीतर शुरू किया गया था और इसे बाधाओं या सीमा पर वर्जित नहीं माना जा सकता है:

( (i)

विकासकर्ता के साथ समझौते के संबंध में विवाद

एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष निर्णय लंबित था;

( (ख)

अपीलार्थी ने स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया था और इसे खरीद लिया था पूरा करने में सुविधा के लिए ई-स्टाम्प पेपर प्रामाणिक

आवासीय फ्लैट से संबंधित लेनदेन का;

तैयारी और इच्छा का प्रदर्शन करने के लिए

( iii)

एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपीलार्थी के लिए ई-स्टाम्प पेपर को लंबित रखना जारी रखना आवश्यक था। कार्यवाही का निपटान;

( iv) ई-स्टाम्प पेपर, वास्तव में, होता

उपयोग किया जाता है यदि एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा निर्णय के परिणामस्वरूप कुछ उल्लंघनों को हटाकर विवाद का समाधान किया गया था। विकासकर्ता द्वारा जोर दिए गए प्रावधान; और

( v)

एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के बाद, अपीलार्थी ने प्रयोग किया

सक्षम मंच के न्यायिक आदेश के संदर्भ में धनवापसी मांगने का विकल्प।

10. इस पृष्ठभूमि में, वकील ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 47,48 और 52 ए के प्रावधानों पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 48 (3) के प्रावधान जो छह महीने [2021] 10 एस. सी. आर. की अवधि निर्धारित करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धनवापसी के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए टिकट की खरीद की तारीख से, कोई आवेदन नहीं होगा जहां मामला धारा 47 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में, यह आग्रह किया गया था कि धारा 52 ए अपीलार्थी के लाभ को सुनिश्चित करेगी। इस संदर्भ में, अपीलार्थी के वकील ने समिति-जी. एफ. आई. एल. बनाम लिब्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया। 2

11. अपीलार्थी की दलीलों का विरोध करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के मुख्य स्थायी वकील, श्री राहुल चिटनिस ने आग्रह किया है कि:

अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन विशेष रूप से निम्नानुसार था -

( (i)

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान

1958 ;

( (ख)

एक बार जब अपीलार्थी ने स्वीकार कर लिया है कि आवेदन था

धारा 47 के संदर्भ में दायर की गई, धारा 48 में निर्धारित सीमा की अवधि पूरी तरह से आकर्षित होगी;

( 111 ) वास्तव में, स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 47 (ए) के प्रावधानों से संबंधित होगा; और ( (iv)
इन परिस्थितियों में, अपीलीय प्राधिकारी को उचित ठहराया गया था।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि धनवापसी के लिए आवेदन

सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ हमारे विश्लेषण के लिए आती हैं।

12. महाराष्ट्र डाक टिकट अधिनियम 1958 के अध्याय 5 का शीर्षक है

" कुछ मामलों में डाक टिकटों के लिए भत्ते "। धारा 47 जो "खराब डाक टिकटों के लिए भत्ता" से संबंधित है, निम्नानुसार प्रदान करती है:

" 47. खराब डाक टिकटों के लिए भत्ता। - इस तरह के नियमों के अधीन

राज्य सरकार द्वारा आवश्यक साक्षय के बारे में या की जाने वाली जांच के बारे में कलेक्टर द्वारा कहा जा सकता है -

धारा 48 में निर्धारित अवधि के भीतर किया गया आवेदन, और यदि वह तथ्यों के बारे में संतुष्ट है, तो प्रभावित के लिए भत्ता दें।

इसके बाद उल्लिखित मामलों में खराब किए गए डाक टिकट, अर्थात्:

( क) अनजाने में किसी भी कागज पर डाक टिकट और

अवांछित रूप से खराब किया गया, मिटा दिया गया या लिखित रूप में त्रुटि से या किसी अन्य माध्यम से उस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त कर दिया गया है जो उस पर लिखे गए किसी भी साधन से पहले अभिप्रेत है

किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित;

2 ( 2015 ) 16 एस. सी. सी. 31 जेवनोहवार बनाम।

प्रमुख राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण, पुणे [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

किसी भी दस्तावेज़ पर डाक टिकट जो पूरी तरह से लिखा गया है या

)

आंशिक रूप से, लेकिन जो किसी भी पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं है

वहाँ;

)

किसी भी पक्ष द्वारा निष्पादित उपकरण के लिए उपयोग की जाने वाली डाक टिकट

जिसके लिए

( 1 ) बाद में पार्टी द्वारा पूरी तरह से पाया गया है

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 के तहत शुरू से ही शून्य; ( 2 ) बाद में किसी त्रुटि के कारण अयोग्य पाया गया है या

उसमें गलती, मूल रूप से इच्छित उद्देश्य के लिए;

( 4 ) किसी भौतिक पक्ष द्वारा उसके निष्पादन की इच्छा के लिए, और उस पर हस्ताक्षर करने में उसकी असमर्थता या इनकार, वास्तव में अधूरा है और उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त है जिसके लिए इसका इरादा किया गया था; ( 5 ) किसी व्यक्ति द्वारा इसके तहत कार्य करने से इनकार करने के कारण, या इसके द्वारा सुरक्षित किए जाने के इरादे से किसी भी धन को आगे बढ़ाने के कारण, या इसके द्वारा किसी पद से इनकार या अस्वीकृति के कारण।

दी गई, इच्छित उद्देश्य की पूरी तरह से विफलता;

( 6 ) लेन-देन के परिणामस्वरूप बेकार हो जाता है जिससे किसी अन्य साधन द्वारा प्रभावित होने का इरादा होता है

समान पक्ष और कम मूल्य की मुहर;

( 7 ) मूल्य में कमी है और इसके द्वारा प्रभावित होने का इरादा किसी अन्य साधन द्वारा किया गया था

एक ही उद्देश्य को निष्पादित किया जाता है और विधिवत मुहर लगाई जाती है: बशर्ते कि, निष्पादित उपकरण के मामले में, सिवाय इसके कि

कि उपखंड (1ए) के तहत आने वाली कोई कानूनी कार्यवाही [2021] 10 एस. सी. आर. नहीं की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसमे उपकरण शुरू हो सकता था या हो सकता था साक्षय में दिया या प्रस्तुत किया गया है और यह कि उपकरण दिया गया है

रद्द किए जाने तक, या पहले ही न्यायालय को सौंप दिया गया है

रद्द करने के लिए।

स्पष्टीकरण। धारा 32 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र

कि पूर्ण कर्तव्य जिसके साथ एक उपकरण प्रभार्य है

भुगतान इस खंड के अर्थ में एक मुद्रित डाक टिकट है।

( जोर दिया गया)

13. धारा 47 राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है।

आवश्यक साक्षय या जांच के संबंध में सरकार। प्रावधान में कहा गया है कि कलेक्टर खंड (ए) से (सी) में निर्धारित मामलों में खराब किए गए मुद्रित टिकटों के लिए भत्ता की मांग करने वाले आवेदन पर भत्ता दे सकता है। धारा 47 के प्रारंभिक शब्द यह भी इंगित करते हैं कि धारा 47 के तहत आवेदन धारा 48 द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। धारा 47 के प्रारंभिक शब्द खंड (ए) से (सी) में निहित "मामलों में खराब किए गए मुद्रित टिकटों" का विज्ञापन करते हैं। खंड (ए) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां किसी भी कागज पर डाक टिकट अनजाने में या अवांछित रूप से खराब हो जाता है,

लिखित त्रुटि या किसी अन्य माध्यम से इच्छित उद्देश्य के लिए मिटा दिया गया या अनुपयुक्त कर दिया गया, इससे पहले कि उस पर लिखा गया उपकरण किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित। खंड (ए) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन मुद्रित टिकटों के लिए भत्ता दिया जाए जो अनजाने में खराब हो जाते हैं।

या अनजाने में या जहां स्टाम्प पेपर को उस उद्देश्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है जिसके लिए इसका इरादा किया गया था। यही कारण है कि अभिव्यक्तियाँ

खंड (ए) में उपयोग किए गए हैं जो खराब हो गए हैं, मिटा दिए गए हैं, या उद्देश्य के लिए अयोग्य हो गए हैं।

14. धारा 47 में तीन प्रकार के मामले शामिल हैं: ( (i) खराब हो गया;

( (ii) मिटा दिया गया; और (iii) लिखित त्रुटि या 'किसी अन्य माध्यम' से इस उद्देश्य के लिए अयोग्य। राज्य द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी का मामला तीसरी श्रेणी के दायरे में आएगा क्योंकि इसे इस उद्देश्य के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, अर्थात,

संपत्ति। इस प्रकार यह प्रस्तुतिकरण प्रावधान में उपयोग किए गए अभिव्यक्ति उद्देश्य पर निर्भरता रखता है। प्रस्तुतिकरण प्रावधान के एक सादे पठन के अनुरूप नहीं है। "कोई अन्य साधन" अभिव्यक्ति को उन शब्दों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उससे तुरंत पहले आते हैं, अर्थात्, "लेखन में त्रुटि"। "किसी भी अन्य माध्यम से" अभिव्यक्ति इंगित करेगी कि विधायिका का इरादा किसी भी तरह से स्टाम्प पेपर के विरूपण को संदर्भित करना है जो स्टाम्प पेपर पर उपकरण लिखने में त्रुटि के समान है। " कोई भी एम. आर.

राजीवनोहवार बनाम। प्रमुख नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण महाराष्ट्र, पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अन्य साधन "किसी भी अन्य तरीके को संदर्भित करता है जिसके द्वारा स्टाम्प पेपर है

जिस उद्देश्य के लिए इसे खरीदा गया था, उसके लिए अनुपयुक्त बना दिया गया। इसके अलावा, धारा 47 में प्रारंभिक शब्दों में कहा गया है कि कलेक्टर को संतुष्ट होना चाहिए कि डाक टिकट 'खराब' हो गया है। खंड (ए) से (सी) उन मामलों को निर्धारित करता है जो 'खराब टिकट' अभिव्यक्ति के दायरे में आते हैं। द.

धारा 47 का जोर उद्देश्य पर नहीं बल्कि अनुपयुक्त टिकटों पर है। इसलिए, एक मामला जहां टिकट का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है क्योंकि खरीद के बाद इसकी आवश्यकता नहीं है, वह धारा 47 के दायरे में नहीं आएगा। केवल उन मामलों में जहां डाक टिकट लिखित त्रुटि या किसी अन्य माध्यम से उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त है, प्रावधान। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि स्टाम्प पेपर को खराब कर दिया गया है या मिटा दिया गया है या उस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त कर दिया गया है जिसके लिए इसकी आवश्यकता थी। वर्तमान मामले में, यह सामान्य आधार है कि स्टाम्प पेपर खराब नहीं हुआ है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए स्टाम्प खरीदा गया था, वह एन. सी. डी. आर. सी. के फैसले को देखते हुए निरर्थक हो गया है। इसलिए, धारा 47 के खंड (ए) के प्रावधानों को लागू करने का कोई अवसर नहीं होगा।

15. धारा 47 का खंड (सी) "डाक टिकट" अभिव्यक्ति से शुरू होता है।

इसका उपयोग किसी भी पक्ष द्वारा निष्पादित उपकरण के लिए किया जाता है और इसके बाद आठ उपखंड होते हैं। दूसरे शब्दों में, धारा 47 का खंड (सी) केवल तभी लागू होता है जब किसी ऐसे उपकरण के लिए स्टाम्प पेपर का उपयोग किया गया हो जो

उपकरण के एक पक्ष द्वारा निष्पादित किया गया। यही कारण है कि, उदाहरण के लिए उपखंड (2) उस साधन को संदर्भित करता है जिसे बाद में पाया जा रहा है।

किसी त्रुटि या गलती के कारण उस उद्देश्य के लिए अयोग्य है जिसके लिए यह मूल रूप से अभिप्रेत था। उपखंड (4) विज्ञापन एक ऐसी स्थिति के लिए है जहां उपकरण को एक भौतिक पक्ष द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है और उसकी अक्षमता से

या उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से उपकरण उस उद्देश्य के लिए अधूरा और अपर्याप्त हो जाता है जिसके लिए वह अभिप्रेत था। धारा 47 के खंड (सी) में है -

वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यह सामान्य आधार है कि डाक टिकट का उपयोग किसी भी पक्ष द्वारा पहले से निष्पादित उपकरण के लिए नहीं किया गया था। 16. अब इस पृष्ठभूमि में अधिनियम की धारा 48 का विज्ञापन करना आवश्यक हो जाता है। धारा 48 इस प्रकार प्रदान करती है:

" 48. धारा 47 के तहत राहत के लिए आवेदन कब किया जाना है। - धारा 47 के तहत राहत के लिए आवेदन किया जाएगा।

अगली अवधि, अर्थात।

( 1 ) खंड (ग) (5) में उल्लिखित मामलों में, छह महीने के भीतर

उपकरणों की तारीख:



बशर्ते कि जहां अचल संपत्ति बेचने का समझौता, जिस पर अनुसूची I के अनुच्छेद 25 के तहत स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाता है, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और यदि विक्रेता अचल संपत्ति का कब्जा देने से इनकार करता है, जो इस तरह के समझौते का विषय है, तो आवेदन लिखत की तारीख से दो साल के भीतर किया जा सकता है [या जहां ऐसा समझौता परिसर के संबंध में विवाद के आधार पर पंजीकृत रद्दीकरण विलेख द्वारा रद्द किया जाता है]

संबंधित, अपर्याप्त वित्त, सहमत विचार के संदर्भ में वित्तीय विवाद, या बाद में किसी अन्य भौतिक तथ्य का अवैध निर्माण या दमन पाया गया, ऐसे पंजीकृत रद्द करने की तारीख से दो साल के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

कार्य;

( 2 ) ऐसे मामले में जब अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए कोई भी उपकरण जिसके लिए किसी अन्य उपकरण को प्रतिस्थापित किया गया है, रद्द करने के लिए नहीं दिया जा सकता है, तो आवेदन छह महीने के भीतर किया जा सकता है।

प्रतिस्थापित उपकरण के निष्पादन की तारीख के बाद।

( 3 ) किसी भी अन्य मामले में, खरीद की तारीख से छह महीने के भीतर

मोहरों से।

खंड (ग) (5) द्वारा शासित मामले, वह अवधि जिसके भीतर आवेदन दायर किया जाना है, लिखत की तारीख से छह महीने की होगी। खंड (2) निर्दिष्ट करता है कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए, किसी भी उपकरण को जिसके लिए किसी अन्य उपकरण को प्रतिस्थापित किया गया है, रद्द करने के लिए नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में, प्रतिस्थापन उपकरण के निष्पादन की तारीख के छह महीने के

भीतर आवेदन किया जा सकता है। खंड (3) जो एक अवशिष्ट प्रावधान है, डाक टिकट की खरीद की तारीख से छह महीने की सीमा का प्रावधान करता है। 18. राजस्व अधिकारियों ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदन स्टाम्प पेपर की खरीद की तारीख से छह महीने के भीतर दायर नहीं किया गया था, इस मामले को अधिनियम की धारा 48 के अवशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत आता है। इस विचार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है। इस दृष्टिकोण में इस बात की कमी है कि धारा 48 पूरी तरह से केवल उन एम. आर. पर लागू होती है।

राजीवनोहवार बनाम। प्रमुख राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ऐसे मामले जहां राहत के लिए आवेदन धारा 47 द्वारा शासित है। यदि धनवापसी के लिए आवेदन धारा 47 के प्रावधानों के संदर्भ में नहीं है, तो धारा 48 में सीमा की अवधि स्पष्ट रूप से लागू नहीं होती है। चूँकि अपीलार्थी का आवेदन धारा 47 के किसी भी खंड के दायरे में नहीं आता है, इसलिए इसमें निर्धारित 6 महीने की सीमा अवधि

धारा 48 अपीलार्थी द्वारा दायर भत्ते के आवेदन पर लागू नहीं होगी। 19. यह देखने के बाद कि भत्ता के लिए अपीलार्थी का आवेदन धारा 47 के दायरे में नहीं आता है, यह निर्धारित करना अनिवार्य है कि क्या यह अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के दायरे में आता है। धारा 49 में प्रावधान है कि किसी भी बैंकर द्वारा मुद्रित उपकरणों के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्टाम्प पेपर के लिए बिना किसी समय सीमा के भत्ता दिया जा सकता है।

या कंपनी, यदि बैंकों या कंपनियों द्वारा प्रपत्रों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, अपीलार्थी का आवेदन धारा 49 के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 50 में कहा गया है कि दुरुपयोग किए गए टिकटों के लिए छूट दी जा सकती है। यह प्रावधान 'दुरुपयोग किए गए डाक टिकट' शब्द के दायरे में लाता है, आवश्यकता से अधिक मूल्य के डाक टिकट या किसी भी नियम या डाक टिकट द्वारा निर्धारित विवरण के अलावा विवरण के डाक टिकट जो उपकरण के बाद से बेकार हैं।

प्रावधानों के उल्लंघन में लिखा जाता है या जहां डाक टिकट का उपयोग किया गया है जब उपकरण पर डाक टिकट शुल्क नहीं लगाया जाता है। धारा 50 केवल उन मामलों को शामिल करती है जहां स्टाम्प पेपर में अनजाने में गलतियाँ की जाती हैं। इसलिए, अपीलार्थी का मामला इसके अंतर्गत नहीं आता है -

धारा 50 चूंकि ई-स्टाम्प में कोई गलती नहीं है, चाहे वह मूल्य या विवरण के संबंध में हो। धारा 51 उन मामलों के लिए भत्ता मांगने की प्रक्रिया निर्धारित करती है जो धारा 47,49 और 50 के तहत आते हैं और इस प्रकार अपीलार्थी के दावे पर कोई आवेदन नहीं है। 20. अब अधिनियम की धारा 52 का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है जो निम्नानुसार प्रदान करती है:

" 52. उपयोग के लिए डाक टिकटों के लिए भत्ते की आवश्यकता नहीं है: जब किसी व्यक्ति के पास कोई डाक टिकट या डाक टिकट हो जो नहीं है अभिप्रेत प्रयोजन के लिए खराब या अनुपयुक्त या बेकार कर दिया गया, लेकिन जिसके लिए उसका कोई तत्काल उपयोग नहीं है, कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसे डाक टिकट या डाक टिकटों का मूल्य धन में चुकाएगा, [ऐसी राशि जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है] ऐसी व्यक्ति पर जो इसे रद्द करने के लिए वितरित कर रहा है, और

कलेक्टर की संतुष्टि,



( (क) कि ऐसे डाक टिकट या डाक टिकट ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे गए थे।

उनका उपयोग करने के नेक इरादे के साथ; और

( ख) कि उसने इसकी पूरी कीमत चुका दी है; और

( ग) कि उन्हें इस प्रकार 1 [छह] की अवधि के भीतर खरीदा गया था।

अगले महीने] उस तारीख से पहले जिस दिन वे ऐसे थे वितरित किया गया:

बशर्ते कि, जहां व्यक्ति डाक टिकट का लाइसेंस प्राप्त विक्रेता है, कलेक्टर, यदि वह उचित समझता है, तो राशि का पुनर्भुगतान कर सकता है

वास्तव में विक्रेता द्वारा बिना किसी कटौती के भुगतान किया गया

ऊपर कहा गया है "।

( जोर दिया गया)

धारा 52 टिकटों के मामले में भत्ते के प्रावधान से संबंधित है।

जिनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दो प्रकार के टिकट हैं जो उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हैं। पहला वह जगह है जहाँ डाक टिकट खराब हो जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 47 में बताया गया है। दूसरा वह है जहाँ डाक टिकट खराब नहीं होता है लेकिन डाक टिकट की आवश्यकता नहीं होती है

क्योंकि खरीदार का इसका कोई उपयोग नहीं होता है। धारा 52 विशेष रूप से पहली श्रेणी को बाहर करती है क्योंकि यह पहले से ही धारा 47 द्वारा कवर की गई है। यह प्रावधान केवल दूसरी श्रेणी के वर्ग पर लागू होता है। इस प्रकार, धारा 52 उन डाक टिकटों को शामिल करती है जो खराब नहीं होते हैं, लेकिन जो किसी भी बाद की घटना की घटना से आवेदक के लिए कोई काम नहीं करते हैं जो डाक टिकट की खरीद के उद्देश्य को शून्य या निरर्थक बना देता है। धारा 52ए के आवेदन के लिए, आवेदक ने पूर्ण मूल्य के भुगतान पर डाक टिकट खरीदा होना चाहिए, जिसका उपयोग करने का वास्तविक इरादा होना चाहिए। हालांकि, डाक टिकट की खरीद के छह महीने के भीतर, इसका उद्देश्य

खरीद पूरी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति कई परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने स्टाम्प पेपर प्राप्त किया होगा।

एक इमारत खरीदने के लिए। हालांकि, बिक्री के समझौते को लागू करने से पहले, क्षेत्र में भूकंप आने के बाद इमारत जर्जर हो जाती है। ऐसे में स्टाम्प पेपर का कोई फायदा नहीं है। इसमें वह मामला भी शामिल हो सकता है जिसमें विक्रेता ने संपत्ति बेचने के लिए अपनी सहमति वापस ले ली हो।

स्टाम्प पेपर की खरीद के बाद। ऐसे मामलों में, खरीदे गए टिकट का उस उद्देश्य के बाद से कोई उपयोग नहीं होगा जिसके लिए इसे खरीदा गया था मूर्त रूप नहीं ले सके।

21. यह तर्क दिया जा सकता है कि "शब्दों का उपयोग, जिसके लिए उन्होंने

धारा 52 में इसका कोई तत्काल उपयोग नहीं है, केवल उन मामलों को शामिल करेगा जहां डाक टिकट की खरीद का उद्देश्य अभी भी मान्य है, लेकिन विलंबित होने पर उद्देश्य का निष्पादन और 'तत्काल' नहीं। हालाँकि, प्रावधान के समग्र अध्ययन को देखते हुए इस तरह की व्याख्या गलत है।

एम. आर. राजीवनोहवार बनाम। प्रमुख नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण महाराष्ट्र, पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

22. हालांकि, धारा 52 केवल उन मामलों पर लागू होगी जहां आवेदक को पता था कि खरीदा गया डाक टिकट नहीं था। खरीद की तारीख से छह महीने के भीतर उपयोग के लिए आवश्यक है। यह प्रावधान मनमाने ढंग से उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां डाक टिकट के खरीदार को यह जानकारी नहीं थी कि डाक टिकट की खरीद के छह महीने के भीतर उपयोग के लिए डाक टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। तत्काल मामले में, अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि इसे खरीदने के छह महीने के भीतर डाक टिकट की आवश्यकता नहीं थी। वह बिल्डर के साथ अपने अधिकारों को लेकर एक वास्तविक प्रतिस्पर्धा में था। इसलिए, अपीलार्थी का मामला भी अधिनियम की धारा 52 के तहत नहीं आएगा।

23. अपीलार्थी के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी का मामला अधिनियम की धारा 52ए के दायरे में आता है।

अब, धारा 52 ए के प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक हो जाता है जो निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:

" 52 ए. कर्तव्य के लिए भत्ता। - ( 1 ) किसी भी बात के बावजूद धारा 47,50,51 और 52 में निहित है, जब शुल्क का भुगतान किया जाता है

धारा 10 की उप-धारा (3) या धारा 10 ए या धारा 108 के तहत डाक टिकटों या नकद में किया गया और जब भुगतान की गई शुल्क की राशि एक लाख रुपये से अधिक हो, तो संबंधित कलेक्टर

डाक टिकटों के लिए भत्ता नहीं देगा, या चालान के तहत भुगतान की गई नकद राशि, जो खराब हो गई है या दुरुपयोग की गई है या उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक पूछताछ करने के बाद,

उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ आवेदन,

( क) मुंबई शहर जिले में काम करने वाले कलेक्टरों द्वारा संभाले जाने वाले मामलों के लिए डाक टिकटों का अतिरिक्त नियंत्रक और

मुंबई उपनगरीय जिला; और
( ख) खंड (क) में उल्लिखित मामलों के अलावा कलेक्टरों द्वारा संभाले जाने वाले मामलों के लिए डिवीजन के संबंधित पंजीकरण उप महानिरीक्षक और डाक टिकटों के उप नियंत्रक।



रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक और डिवीजन के डाक टिकटों के उप नियंत्रक, यथास्थिति, इस तरह के आवेदन प्राप्त करने पर इस पर विचार कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि क्या ऐसा भत्ता होगा दिया गया या नहीं , और तदनुसार,
यदि भत्ते की राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है, और यदि यह दस लाख रुपये से अधिक है, तो अपनी टिप्पणी के साथ ऐसा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

उस पर निर्णय के लिए मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण को। ( 3 ) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण इस तरह का आवेदन प्राप्त करने पर योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा कि ऐसा भत्ता दिया जाएगा या नहीं और उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझता है और

उचित, जो अंतिम होगा और किसी भी मामले में पूछताछ नहीं की जाएगी

अदालत या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष।

भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। धारा 52 ए के प्रावधानों को 1 मई 2006 से महाराष्ट्र अधिनियम 2006 के 12 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। एक संशोधन द्वारा 5 लाख रुपये की राशि जो 2015 के महाराष्ट्र अधिनियम 20 द्वारा 24 अप्रैल 2015 से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ा दिया गया था। इसी तरह उप-धारा (2) में, उसी संशोधन प्रावधान द्वारा 20 लाख रुपये की राशि को पहले की 10 लाख रुपये की राशि से बढ़ा दिया गया है।

एमआर। राजीवनोहवार बनाम। प्रमुख राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

26.धारा 52 ए के प्रावधान, जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 47,50,51 और 52 के प्रावधानों पर प्रबल प्रभाव डालते हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि गैर-बाध्यकारी खंड अधिनियम की धारा 48 और 49 पर लागू नहीं होता है। जबकि धारा 48 एक सीमा खंड है जो धारा 47 द्वारा कवर किए गए मामलों पर लागू होता है, धारा 49 एक निगम पर लागू होती है जहां कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। धारा 52 ए अपीलार्थी के मामले में केवल तभी लागू की जा सकती है जब प्रावधान की व्याख्या पूर्ववर्ती प्रावधानों में निर्धारित सीमा अवधि को ओवरराइड करने के लिए की जाती है और यदि इसे एक अवशिष्ट मूल प्रावधान के रूप में माना जाता है जो उन सभी मामलों को शामिल करेगा जो किसी भी प्रावधान में शामिल नहीं हैं। अब हम इस तरह की व्याख्या की वैधता पर विचार करेंगे।

27. यदि धारा 52 ए को धारा 50,51 और 52 द्वारा निर्धारित सीमा को खत्म करने के इरादे से अधिनियमित किया गया था, तो धारा 48 को भी विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि धारा 48 धारा 47 पर लागू सीमा प्रावधान है। धारा 48 को धारा 52 ए के अबाधित प्रावधान में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए यह इंगित करने के लिए आंतरिक सामग्री है कि धारा 52 ए में अबाधित खंड का उद्देश्य भत्तों के दावों का निर्णय करने के लिए धारा 47,50,51 और 52 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (यानी कलेक्टर) की अधिकारिता को खत्म करना था। धारा 52 ए विशेष रूप से उन प्रावधानों के भीतर आने वाले भत्ते के दावों पर निर्णय लेने के लिए कलेक्टर की शक्ति को समाप्त कर देती है और यदि स्टाम्प शुल्क का भुगतान पाँच लाख रुपये से अधिक है तो अन्य प्राधिकरणों को शक्ति निहित करता है। उन मामलों में, हालांकि कलेक्टर को आवेदन किया जाना है, लेकिन उनके पास कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। कलेक्टर को धारा 52 ए में उल्लिखित आवेदन को टिप्पणियों के साथ संबंधित प्राधिकारी को भेजना चाहिए और ऐसे प्राधिकारी के पास दावे पर निर्णय लेने की शक्ति होगी। यह व्याख्या कि धारा 52 ए केवल मामले का निर्णय लेने में कलेक्टर के अधिकार को ओवरराइड करती है, स्पष्ट है क्योंकि प्रावधान धारा 49 को ओवरराइड नहीं करता है जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण है। ऐसे मामले में, धारा 52 ए को उन मामलों के वर्गों पर लागू करके एक अवशिष्ट खंड के रूप में नहीं माना जा सकता है जो किसी अन्य प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं। एक विपरीत व्याख्या आर्थिक क्षमता पर आधारित एक कृत्रिम वर्ग का निर्माण करेगी, क्योंकि जिन मामलों में स्टाम्प शुल्क का भुगतान पांच लाख रुपये से अधिक होगा, वे होंगे।

एक अवशिष्ट मामले के रूप में किसी भी सीमा अवधि के आवेदन के बिना अकेले निर्णय लिया जा सकता है, जबकि एक ही वर्ग के भीतर आने वाले मामले लेकिन जहां स्टाम्प शुल्क का भुगतान पांच लाख रुपये से कम है, वे प्रावधान का सहारा नहीं ले सकते हैं। यह व्याख्या का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्याख्या जो एक प्रावधान की संवैधानिकता को आगे बढ़ाती है, उसमें [2021] 10 एस. सी. आर. होगा।



करने के लिए। एक ऐसी व्याख्या जो एक निंदनीय भेदभाव की ओर ले जाती है, उसे त्याग दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, धारा 52 ए का इरादा न तो उन आवेदनों को शामिल करना था जो पूर्ववर्ती किसी भी मूल खंड के तहत नहीं लाए गए हैं और न ही सीमा खंडों को ओवरराइड करना है।

47 , 52 और 52 ए। यह सच है कि धनवापसी के लिए आवेदन का शीर्षक धारा 47 के प्रावधानों के संदर्भ में था। लेकिन, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक गलत वैधानिक प्रावधान का संदर्भ, नागरिक को धनवापसी के अधिकार से बाहर नहीं कर सकता है जो अन्यथा एक वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में होता है। प्रावधान।

29. वर्तमान मामले में, स्टाम्प पेपर को बेचने के समझौते को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से खरीदा गया था जिसे अपीलार्थी द्वारा डेवलपर के साथ निष्पादित किया जाना था। डेवलपर के साथ एक विवाद था जिसके कारण एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई। अपीलार्थी के आचरण में कुछ भी अप्रिय नहीं था और निश्चित रूप से कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करने में अपीलार्थी की ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी। एन. सी. डी. आर. सी. ने शिकायतकर्ता को यह विकल्प देते हुए अनुमति दी कि या तो मुआवजे के पुरस्कार के साथ समझौते के साथ आगे बढ़ें या, वैकल्पिक रूप से, ब्याज के साथ धनवापसी की मांग करें। अपीलार्थी ने बाद के विकल्प का उपयोग करते हुए धनवापसी के अनुदान के लिए एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश से दो महीने के भीतर आवेदन किया। इसलिए, अपीलार्थी के आचरण को अनुचित नहीं माना जा सकता है और न ही मुद्रांक शुल्क की वापसी के लिए आवेदन करने में अपीलार्थी की ओर से कोई जानबूझकर या अनावश्यक देरी की गई थी। इस तरह का आवेदन एक उचित अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

30. समिति-जी. एफ. आई. एल. (ऊपर) में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ भारतीय डाक टिकट में निर्धारित सीमा के मुद्दे पर विचार कर रही थी।

अधिनियम 1899। इस मामले में, इस न्यायालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा अचल संपत्तियों की नीलामी की गई थी। सफल बोलीदाताओं ने समिति के पास स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ बिक्री पर पूरा विचार जमा किया। हालाँकि, लेन-देन पक्षों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से विफल रहा। न्यायालय ने लेन-देन को रद्द कर दिया और समिति को ब्याज के साथ बिक्री के विचार को वापस करने का निर्देश दिया और खरीदारों को स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने की अनुमति दी। नीलामी के

आवेदन-स्टाम्प शुल्क की वापसी की मांग करने वाले खरीदारों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदन समय-वर्जित थे। रिफंड आवेदनों की अस्वीकृति के खिलाफ एक आवेदन एम. आर. दायर किया गया था।

राजीवनोहवार बनाम। प्रमुख राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय के समक्ष। इस न्यायालय ने तीन आधारों पर आवेदन को स्वीकार किया:

( (i) लेन-देन जिसकी अदालत द्वारा निगरानी की जा रही थी, नीलामी-खरीदारों के नियंत्रण से परे कारणों से पूरा नहीं किया जा सका। कोई कार्रवाई नहीं न्यायालय को किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना चाहिए; (ii) अनुबंध अधिनियम की धारा 65 में सन्निहित पुनर्स्थापन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अमान्य अनुबंध या अनुबंध के तहत प्राप्त कोई भी लाभ जो अमान्य हो जाता है, बाध्य है।

पुनर्स्थापित करने के लिए; और (iii) समता और न्याय के आलोक में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 50 में निर्धारित छह महीने की सीमा अवधि का अर्थ इस न्यायालय के आदेश की तारीख से छह महीने होना चाहिए।

31. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कानून के एक सामान्य नियम के रूप में, धनवापसी का अधिकार एक वैधानिक सृजन है। शर्तों में धनवापसी की मांग की जा सकती है

कानून द्वारा परिकल्पित। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलार्थी का मामला किसी भी ठोस प्रावधान द्वारा विशेष रूप से वर्जित नहीं है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज और ओवरराइड नहीं करना चाहिए

बल्कि व्यक्त वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें और सावधानी के साथ अपने विवेक का प्रयोग करें। 3 इसलिए, यदि कोई कानून एक सीमा अवधि निर्धारित करता है, तो इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत देरी में हस्तक्षेप करने में देरी करनी चाहिए। हालांकि, तत्काल मामले जैसी घटना के मामले में जहां मामले के तथ्य क़ानून के दायरे में नहीं आते हैं, इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत माफी देकर पूर्ण न्याय करने की शक्ति होगी।

देरी। हमारा विचार है कि चूंकि तत्काल मामले में धनवापसी के लिए आवेदन भरने में देरी लंबी कार्यवाही के कारण हुई थी

एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष आवेदन को देरी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायिक विलम्ब पर वादी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। धनवापसी के लिए आवेदन की अस्वीकृति समानता, न्याय और निष्पक्षता का उल्लंघन करेगी जहां आवेदक को न्यायिक देरी का खामियाजा भुगतना

पड़ता है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला है।

संविधान।

32. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और बॉम्बे के विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर देते हैं। उच्च न्यायालय दिनांक 22 नवंबर 2018। परिणामस्वरूप, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता ई-स्टाम्प पेपर की खरीद के समय भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की वापसी का हकदार होगा, जो इस शर्त पर होगा कि -

3 ए. आर. एंथुले बनाम। आर. एस. नायक, (1988) 2 एस. सी. सी. 602; यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम। भारत संघ, (1991) 4 एस. सी. सी. 584; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ, (1998) 4 एस. सी. सी. 409।



अपीलार्थी डाक टिकट संग्रहकर्ता, मुंबई को ई-स्टाम्प पेपर लौटाता है।

कलेक्टर को ई-स्टाम्प पेपर की डिलीवरी के एक महीने की अवधि के भीतर धनवापसी की प्रक्रिया की जाएगी। अपीलार्थी 16 जुलाई 2016 से धनवापसी की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा। मामले की परिस्थितियों में, इस बारे में कोई आदेश नहीं होगा लागतें।

33. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान